रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 1993/फाल्गुन 7, 1914
No. 117] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 1993/PHALGUNA 7, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

का आ 131(अ).—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद बरसी केन्द्रीय सहकारी को-आपरेटिव बैंक लि, बरसी (जिसे इसके पश्चात् "सहकारी बैंक" कहा गया है) के सबंध में एतद्द्वारा 26 फरवरी, 1993 को बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर, 26 अगस्त 1993 तक और उस दिन को मिलाकर अधिस्थगन आदेश जारी करती है, जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्यवाइयों का शुरू किया जाना अथवा उसकी सभी कार्यवाइयों को जारी रखना स्थगित किया जाता है किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के अधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उसके अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2 केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान यह सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमानित के बिना कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं देगा किसी अग्रिम का नवीकरण नहीं करेगा बैंक की किसी परि-

सम्पत्ति का अन्य संक्रामण अथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा कोई निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायित्व और देन-दारियों के संबंध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नहीं करेगा अथवा अदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का समझोता अथवा ठहराव नही करेगा किन्तु वह निम्नलिखित तरीके से और निम्न-लिखित सीमा तक यथास्थिति अदायगियां अथवा खर्च करेगा:--

(1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम में से 100 रु तक :--

बशर्ते कि अदा की गयी रकम की कुल सीमा किसी एक व्यक्ति (किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में नहीं) के नाम से खाते में जमा कुल राशि के 100 रुपए से ज्यादा न हो :

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम अदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो,

(2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट भुगतान आर्डर अथवा चैकों की राशि, जो सहकारी बैंक द्वारा अधि-स्थगन आदेश के लागू होने की तारीख से पहले जारी कर दिए गए थे और जिनका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) 26 फरवरी, 1993 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुंडियों की राशि चाहे वे उस तारीख से पहले उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की गयी हों ;

(4) ऐसा कोई व्यय जो सहकारी बैंक के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध दायर किए गए मुकदमे, अपील अथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरूद्ध ली गयी डिक्री या बैंक को मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबंध में करना आवश्यक हो ;

बशर्ते कि प्रत्येक मुकदमें, अपील अथवा डिक्री के संबंध में किए जाने वाले व्यय की रकम यदि 500 रुपये से अधिक हो तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति ली जाएगी :

(5) ऐसा कोई व्यय जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को देय प्रीमीयम की राशि हो; और

(6) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह व्यय सहकारी बैंक के विचार मे बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिए करना अनिवार्य हो ;

बशर्ते कि जहां किसी एक कैलेण्डर मास में किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिस्थगन आदेश से पहले के छः महीनों में उस मद पर किए गए औसत मासिक व्यय से बढ़ जाता हो, अथवा उस अवधि के दौरान जहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला व्यय 250 रुपए से बढ़ जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप से अनुमति ली जाएगी ।

3. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि सहकारी बैंक स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान :--

(क) यह सहकारी बैंक निम्नलिखित और अदाय-गियां कर सकेगा, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले महाराष्ट्र सरकार, अथवा महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. या शोलापुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किन्ही सहायक बैंकों या किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को दिए गए ऋण अथवा अग्रिमों जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख को चुकाए जाने शेष थे, की वापसी अदायगी के लिए आवश्यक हों।

(ख) सहकारी बैंक को पूर्वोक्त अदायगियां करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. अथवा किसी अन्य बैंक के साथ अपने खाते चलाने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इस आदेश का ऐसा कोई आशय नहीं होगा कि इस सहकारी बैंक को किसी रकम के दिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा वैसे किसी अन्य बैंक को इस संबंध में अपने आपको आश्वस्त करना होगा कि इस आदेश द्वारा लगाई गयी शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ग) यह सहकारी बैंक उन हुंडियों को जो वसूल न की गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा सकेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियों पर कोई अधिकार अथवा हक न हो अथवा वैसी हुंडियों में उसका कोई हित न हो।

(घ) सहकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियों को जो इस (बैंक) के पास किसी ऋण, नकद, कर्ज अथवा ओवरड्राफ्ट के बदले गिरवी, दृष्टि-बंधक अथवा

बंधक रखी गयी हो, अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हो, निम्नलिखित मामलों में छोड़ अथवा दे सकेगा —

(1) किसी ऐसे मामले में जहां यथास्थिति ऋण-कर्ताओं से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गई है और

(2) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक की रकम जितनी आवश्यक अथवा संभव हो, निर्दिष्ट अनुपातों से नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे, जो अधीनस्थ आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू थी, इनमें जो भी अधिक हो, उक्त माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के अनुपातों का कम किये बिना।

[स 10(1)/93-विकास]
पी के तेजयान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1993

S O 131(E)—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of Section 45, read with clause (7b) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Barsi Central Urban Co-operative Bank Ltd, Barsi (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 26th February 1993 upto and inclusive of the 26th August 1993 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960

2 The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance, alienate or dispose of any assets of the bank incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arranagement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder —

(i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account by whatever name called a sum not exceeding Rs. 100

Provided that the sum of the amount paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs 100|

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co operative Bank in any way

(ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(iii) the aamount of bills received for collection on or before the 26th February 1993 whether realised before, on or after that date,

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Co operative Bank, or for realising any amounts due to it,

Provided trat if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred,

(v) the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, and

(vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day to day administration of the Co-operative Bank,

Provided that where the total expenditure on any item in any calender month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs 250/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred

3 The Central Government hereby also directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank

(a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Cooperative Bank Ltd or Solapur District Central Co-operative Bank Ltd or the State Bank, of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force,

(b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-ooperative Bank Ltd, or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid :

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank,

(c) may return any bills which has remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co operative Bank has no right or title so, or interest in such bills,

(d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be has been received by the Co operative Bank, unconditionally, and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the pro

portions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher

[F No 10(1)|93 Dev]

P K TEJYAN, Under Secy

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

का आ. 132(अ) —बैककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद पंजाब को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि , पुणे (जिसे इसके पश्चात् "सहकारी बैंक " कहा गया है) के सबध मे एतद्द्वारा 26 फरवरी, 1993 बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर, 26 अगस्त, 1993 तक और उस दिन को मिलाकर अधिस्थगन आदेश जारी करती है, जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्रवाइया का शुरू किया जाना अथवा इसकी सभी कार्रवाइयो को जारी रखना स्थगित किया जाता है किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के अधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को-आपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रयोग मे लाये जाने वाले उसके अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा।

2 केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान यह सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण अथवा अग्रिम नही देगा, किसी अग्रिम का नवीकरण नही करेगा, बैंक को किसी परिसम्पत्ति का अन्य सक्रामण अथवा निपटान नही करेगा, किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नही करेगा कोई निवेश नही करेगा अथवा अपने दायित्वों और देनदारियो के सबध मे अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नही करेगा अथवा अदायगी करना स्वीकार नही करेगा अथवा किसी प्रकार का समझौता अथवा ठहराव नही करेगा किन्तु वह निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक यथास्थिति अदायगिया अथवा खर्च करेगा

(1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते मे शेष रकम मे से 100 रुपये तक

बशर्ते कि अदा की गयी रकम की कुल सीमा किसी एक व्यक्ति (किसी अन्य व्यक्ति के साथ सयुक्त खाते मे नही) के नाम से खाते मे जमा कुल राशि के 100 रुपये से ज्यादा न हो ,

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम अदा नही की जायेगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो,

(2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आर्डर अथवा चेको की राशि, जो सहकारी बैंक द्वारा अधिस्थगन आदेश के लागू होने की तारीख से पहले जारी कर दिये गये थे और जिनका उस तारीख तक भुगतान नही किया गया है,

(3) 26 फरवरी, 1993 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिये प्राप्त हुडियो की राशि चाहे वे उस तारीख से पहले, उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की गयी हो,

(4) ऐसा कोई व्यय जो सहकारी बैंक के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दायर किये गये मुकदमे, अपील अथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध ली गयी डिक्री या बैंक को मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबध मे करना आवश्यक हो,

बशर्ते कि प्रत्येक मुकदमे, अपील अथवा डिक्री के सबध मे किये जाने वाले व्यय की रकम यदि 500 रुपये से अधिक हो तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति ली जायेगी

(5) ऐसा कोई व्यय जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारटी निगम को देय प्रीमियम की राशि हो, और

(6) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहा तक कि वह व्यय सहकारी बैंक के विचार मे बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिये करना अनिवार्य हो

बशर्ते कि जहा किसी एक कैलैंडर मास मे किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिस्थगन आदेश से पहले के छ कैलैंण्डर महीनो मे उस मद पर किये गये औसत मासिक व्यय से बढ जाता हो, अथवा उस अवधि के दौरान जहा उस मद पर कोई व्यय नही किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला व्यय 250 - रुपये से बढ़ जाये तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप मे अनुमति ली जायेगी ।

3 केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि सहकारी बैंक स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान —

(क) यह सहकारी बैंक निम्नलिखित और अदायगिया कर सकेगा अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियो अथवा अन्य प्रतिभूतियो के बदले महाराष्ट्र सरकार, अथवा महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि या पुणे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किन्ही सहायक बैंको या किसी अन्य बैंक द्वारा

सहकारी बैंक को दिये गये ऋणों अथवा अग्रिमों जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख को चुकाये जाने शेष थे की वापसी अदायगी के लिये आवश्यक हो।

(ख) सहकारी बैंकों को पूर्वोक्त अदायगियां करने के लिये महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा किसी अन्य बैंक के साथ अपने खाते लाने की अनुमति दी जायेगी।

परन्तु इस आदेश का ऐसा कोई आशय नहीं होगा कि इस सहकारी बैंक को किसी रकम के लिये दिये जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा वैसे किसी अन्य बैंक को इस संबंध में अपने आपको आश्वस्त करना होगा कि इस आदेश द्वारा लगाई गयी शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ग) यह सहकारी बैंक, उन हुंडियों को, जो वसूल न की गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा सकेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियो पर कोई अधिकार अथवा हक न हो अथवा वैसी हुंडियो में उसका कोई हित न हो।

(घ) सहकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियों, को जो इस (बैंक) के पास किसी ऋण नकद कर्ज अथवा ओवरड्राफ्ट के बदले गिरवी, दृष्टि-बंधक अथवा बंधक रखी गयी हों अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हो, निम्न लिखित मामलों में छोड़ अथवा दे कि—

(1) किसी ऐसे मामले में जहां यथास्थिति ऋणकर्ताओं से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गई है; और

(2) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक की रकम जितनी आवश्यक अथवा संभव हो, निर्दिष्ट अनुपातों से नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू थी, इनमें जो भी अधिक हो, उक्त माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के अनुपातों को कम किये बिना।

[सं. 10(2)/93-विकास]
पी. के. तेजयान, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1993

S.O. 132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45, read with clause (zb) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Punjab Co-op. Urban Bank Ltd., Pune 411 002 (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 26th February 1993 upto and inclusive of the 26th August 1993 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

2. The Central Government hereby directs that, during the period of moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance alienate or dispose of any assets of the bank, incure any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments or incurring of expenditure, as the case may be to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) Out of the balance in every savings bank or current account or any other deposit account, by whatever name called a sum not exceeding Rs. 100/-.

Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 100/-.

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way :

(ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes in to force;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before 26th February, 1993 whether realized before on or after that date;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Cooperative Bank, or for realizing any amounts due to it;

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500/- the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

(v) the amounts of premium payable to Deposit insurance and Credit Guarantee Corporation; and

(vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Co-operative Bank;

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

3. The Central Government hereby also directs that during the period of the moratorium granted to it, the co-operative bank—

(a) may make the following further payments, namely the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or Pune District Central Co-operative Bank Ltd., or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid;

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;

(c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;

(d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 10(2)/93-Dev]
P. K. TEJYAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

का. आ. 133 (अ):—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद कोल्हापुर सहकारी बैंक लि., बम्बई 400013 जिसे इसके पश्चात् सहकारी बैंक कहा गया है के संबंध में एतद्द्वारा 26 फरवरी, 1993 को बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर 26 अगस्त, 1993 तक और उस दिन को मिलाकर अधिस्थगन आदेश जारी करती है, जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्यवाइयों का शुरू किया जाना अथवा शुरू की गई कार्यवाइयों को जारी रखना स्थगित किया जाता है किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के अधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को आपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1960 पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि स्वीकृति अधिस्थगन की अवधि के दौरान यह सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं देगा किसी अग्रिम का नवीकरण नहीं करेगा बैंक की किसी परिसम्पत्ति का अन्य संक्रामण अथवा निबटान नहीं करेगा किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायित्वों और देनदारियों के संबंध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार के अदायगी नहीं करेगा अथवा अदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का समझौता अथवा ठहराव नहीं करेगा किन्तु यह निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक यथा स्थिति अदागयी अथवा खर्च करेगा :—

(1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम में से 100/ रुपये तक :—

बशर्ते कि अदा की गयी रकम की कुल सीमा किसी एक व्यक्ति (किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में नहीं) के नाम के खाते में जमा कुल राशि के 100/- रुपये से ज्यादा न हों :

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम अदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो,

(2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आर्डर अथवा चैकों की राशि, जो सहकारी बैंक अधिस्थगन आदेश के लागू होने की तारीख से पहले जारी कर दिए गए थे और जिनका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है,

(3) 26 फरवरी, 1993 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुंडियों की राशि चाहे वे उस तारीख से पहले, उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की गयी हो

(4) ऐसा कोई व्यय जो सहकारी बैंक के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दायर किये गये मुकदमें, अपील अथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध ली गई डिक्री या बैंक को मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबंध में करना आवश्यक हो,

बशर्ते कि प्रत्येक मुकदमें, अपील अथवा डिक्री के संबंध में किये जाने वाले व्यय की रकम यदि 500/- रुपये से अधिक हो, तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति ली जायेगी :

(5) ऐसा कोई व्यय जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को देय प्रीमियम की राशि हो, और

(6) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह व्यय सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिये करना अनिवार्य हो.

बशर्ते कि जहां किसी ऐसे कलैण्डर माह में किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिस्थगन आदेश से पहले के छः कैलेण्डर महीनों में उस मद पर किये गये औसत मासिक व्यय से बढ़ जाता हो, अथवा उस अवधि के दौरान जहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला व्यय 250/- रुपये से बढ़ जाये तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनुमति ली जायेगी।

3. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि सहकारी बैंक स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान :—

(क) यह सरकारी बैंक निम्नलिखित और अदायगियां करेगा, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले महाराष्ट्र सरकार, अथवा महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. या मुम्बई जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किन्हीं सहायक बैंकों या किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को दिये गये ऋणों अथवा अग्रिमों, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख को चुकाये जाने शेष थे, की वापसी अदायगी के लिये आवश्यक हो।

(ख) सहकारी बैंक को पूर्वोक्त अदायगियां करने के लिये महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा किसी अन्य बैंक के साथ अपने खाते चलाने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु इस आदेश का ऐसा कोई आशय नहीं होगा कि इस सहकारी बैंक को किसी रकम के दिये जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा जैसे किसी अन्य बैंक को इस संबंध में अपने आपको आश्वस्त करना होगा कि इस आदेश द्वारा लगाई गयी शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ग) यह सहकारी बैंक उन हुंडियों को, जो वसूल न की गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा सकेगा। यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियों पर कोई अधिकार अथवा हक नहीं अथवा वैसी हुंडियों में उसका कोई हित न हों।

(घ) सहकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियों को जो इस (बैंक) के पास किसी ऋण नकद, कर्ज अथवा ओवरड्राफ्ट के बदले गिरवी दृष्टि-बंधक अथवा बंधक रखी गयी हों, अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हो, निम्नलिखित मामलों में छोड़ अथवा दे सकेगा :—

(1) किसी ऐसे मामले में जहां, यथास्थिति ऋणकर्ता या ऋणकर्ताओं से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गई है और

(2) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक की रकम जितनी आवश्यक अथवा संभव हो, निर्दिष्ट अनुपातों से नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू थी, इनमें जो भी अधिक हों, उक्त माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के अनुपातों को कम किये बिना।

[फा.सं. 10(3)/93-विकास]
पी.के. तेजयान, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1993

S.O. 133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45, read with clause (zb) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Kolhapur Sahakari Bank Ltd., Bombay-400013 (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 26th February, 1993 upto and inclusive of the 26th August, 1993 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance alienate or disposed of any assets of the bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit, account by whatever name called a sum not exceeding Rs. 100|- :

Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 100/- :

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way;

(ii) The amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before 26th February, 1993 whether realized before, on or after that date;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Co-operative Bank, or for realizing any amounts due to it;

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

(v) the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and

(vi) any expenditure or any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to day administration of the Co-operative Bank :

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

3. The Central Government hereby also directs that during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank—

(a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or Mumbai District Central Co-operative Bank Ltd., or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force ;

(b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making tse payments aforesaid ;

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank ;

(c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;

(d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium, came into force, whichever may be higher.

[F. No. 10(3)/93-Dev.]
P. K. TEJYAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

का. आ. 134(अ):—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (ब) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र पर विचार करने के बाद धुले पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., धुले (जिसे इसके पश्चात "सहकारी बैंक" कहा गया है) के संबंध में, एतद्द्वारा 26 फरवरी, 1993 को बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर 26 अगस्त, 1993 तक और उस दिन को मिलाकर अधिस्थगन आदेश जारी करती है, जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्रवाईयों का शुरू किया जाना अथवा शुरू की गई कार्रवाइयों को जारी रखना स्थगित किया जाता है किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के अधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को-आपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान यह सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण अथवा अग्रिम नही देगा, किसी अग्रिम का नवीकरण नहीं करेगा, बैंक की किसी परिसम्पत्ति का अन्य संक्रामण अथवा निपटान नही करेगा, किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायित्वों और देनदारियों के संबंध मे अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नहीं करेगा अथवा अदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का समझौता अथवा ठहराव नही करेगा किन्तु वह निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक यथास्थिति अदायगियां अथवा खर्च करेगा:—

(1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम में से 100/- रुपए तक.—

बशर्ते कि अदा की गयी रकम की कुल सीमा किसी एक व्यक्ति (किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में नहीं) के नाम से खाते में जमा कुल राशि के 100/- रुपए से ज्यादा न हो :

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम अदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो,

(2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आर्डर अथवा चेकों, की राशि, जो सहकारी बैंक द्वारा अधिस्थगन

आदेश के लागू होने की तारीख से पहले जारी कर दिए गए थे, और जिनका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया ;

(3) 26 फरवरी, 1993 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुंडियों की राशि चाहे वे उस तारीख से पहले उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की गयी हों;

(4) ऐसा कोई व्यय जो सहकारी बैंक के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे, अपील अथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध की गयी डिक्री या बैंक को मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबंध में करना आवश्यक हो,

बशर्ते कि प्रत्येक मुकदमें, अपील अथवा डिक्री के संबंध में किए जाने वाले व्यय की रकम यदि 500/- रुपए से अधिक हो, तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति ली जाएगी ,

(5) ऐसा कोई व्यय जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को देय प्रीमियम की राशि हो, और

(6) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह व्यय सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिए करना अनिवार्य हो :

बशर्ते कि जहां किसी एक कैलेण्डर मास में किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिस्थगन आदेश से पहले के छः कैलेण्डर महीनों में उस मद पर किए गए औसत मासिक व्यय से बढ़ जाता हो, अथवा उस अवधि के दौरान जहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला व्यय 250/- रुपए से बढ़ जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनुमति ली जाएगी ।

3. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि सहकारी बैंक स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान —

(क) यह सरकारी बैंक निम्नलिखित और अदायगियां कर सकेगा, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले महाराष्ट्र सरकार, अथवा महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. या धुले जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किन्हीं सहायक बैंकों या किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को दिए गए ऋणों अथवा अग्रिमों, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख को चुकाए जाने शेष थे, की वापसी अदायगी के लिए आवश्यक हो ।

(ख) सहकारी बैंक को पूर्वोक्त अदायगियां करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट-को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा किसी अन्य बैंक के साथ अपने खाते चलाने की अनुमति दी जाएगी ।

परन्तु इस आदेश का ऐसा कोई आशय नहीं होगा कि इस सहकारी बैंक को किसी रकम के दिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा वैसे किसी अन्य बैंक को इस संबंध में अपने आपको आश्वस्त करना होगा कि इस आदेश द्वारा लगाई गयी शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है ।

(ग) यह सहकारी बैंक, उन हुंडियों को, जो वसूल न की गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा सकेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियों पर कोई अधिकार अथवा हक न हो अथवा वैसी हुंडियों में उसका कोई हित न हो ।

(घ) सहकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियों को जो इस (बैंक) के पास किसी ऋण नकद, कर्ज अथवा ओवरड्राफ्ट के बदले गिरवी, दृष्टि-बंधक अथवा बंधक रखी गयी हों, अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हों, निम्नलिखित मामलों में छोड़ अथवा दे सकेगा :—

(1) किसी ऐसे मामले में जहां, यथास्थिति ऋणकर्ता या ऋणकर्ताओं से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गई है; और

(2) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक की रकम जितनी आवश्यक अथवा संभव हो, निर्दिष्ट अनुपातों से नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू थी, इनमें जो भी अधिक हो, उक्त माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के अनुपातों को कम किए बिना ।

[फा. सं. 10(4)/93—विकास]

पी. के. तेजयान, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1993

S.O. 134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45, read with clause (zb) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Dhule People's Co-operative Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (hereinafter referred to as th Co-operative Bank), for the period fom close of business on the 26th February 1993 upto and inclusive of the 26th August 1993 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in

any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance, alienate or dispose of any assets of the bank incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangements, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account, by whatever name called a sum not exceeding Rs. 100 ;

Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 100 ;

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way ;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force ;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before 26th February, 1993 whether realized before, on or after that date ;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Co-operative Bank, or for realizing any amounts due to it ;

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500, permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred;

(v) the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and

(vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Co-operative Bank ;

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar month preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

3. The Central Government hereby also directs that during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank—

(a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operativt Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or Dhule District Central Co-operative Bank Ltd., or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid;

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;

(c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on the request being made in this behalf by such persons if the Co-operative Bank has no right or title to or interest in such bills;

(d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or other-wise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent,—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions, of the margins on the said goods on securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 10(4)/93-Dev]
P. K. TEJYAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

का. आ. 135(अ):—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र पर विचार करने के बाद स्वास्तिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बम्बई-400002 (जिसे इसके पश्चात "सहकारी बैंक" कहा गया है) के संबंध में एतद्द्वारा 26 फरवरी, 1993 बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर 26 अगस्त, 1993 तक और उस दिन को मिलाकर अधिस्थगन आदेश जारी करती है, जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्रवाईयों का शुरू किया जाना अथवा इसकी सभी कार्रवाईयों को जारी रखना स्थगित किया जाता है किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के अधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को-आपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उसके अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान यह सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं देगा, किसी अग्रिम का नवीकरण नहीं करेगा, बैंक की किसी परिसम्पत्ति का अन्य संक्रामण अथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायित्वों और देनदारियों के

संबंध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नहीं करेगा अथवा अदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का समझौता अथवा ठहराव नहीं करेगा किन्तु वह निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक यथा-स्थिति अदायगियां अथवा खर्च करेगा :—

(1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम में से 100/- रुपए तक :—

बशर्ते कि अदा की गयी रकम की कुल सीमा किसी एक व्यक्ति (किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में नहीं) के नाम से खाते में जमा कुल राशि के 100/- रुपए से ज्यादा न हो :

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम अदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो,

(2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आर्डर अथवा चेकों की राशि, जो सहकारी बैंक द्वारा अधिस्थगन आदेश के लागू होने की तारीख से पहले जारी कर दिए गए थे और जिनका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया,

(3) 26 फरवरी, 1993 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुंडियों की राशि चाहे वे उस तारीख से पहले, उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की गयी हों,

(4) ऐसा कोई व्यय जो सहकारी बैंक के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे, अपील अथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध की गयी डिक्री या बैंक की मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबंध में करना आवश्यक हो :

बशर्ते कि प्रत्येक मुकदमें अपील अथवा डिक्री के संबंध में किए जाने वाले व्यय की रकम यदि 500/- रुपए से अधिक हो, तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति ली जाएगी,

(5) ऐसा कोई व्यय जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को देय प्रीमियम की राशि हो; और

(6) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह व्यय सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिए करना अनिवार्य हो :

बशर्ते कि जहां किसी एक कैलेण्डर मास में किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिस्थगन आदेश से पहले के छः कैलेण्डर महीनों में उस मद पर किए गए औसत मासिक व्यय से बढ़ जाता हो, अथवा उस अवधि के दौरान जहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला व्यय 250/- रुपए से बढ़ जाए, तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनुमति ली जाएगी ।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि सहकारी बैंक स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान,—

(क) यदि सहकारी बैंक निम्नलिखित और अदायगियां कर सकेगा, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले महाराष्ट्र सरकार, अथवा महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. या सतारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किन्हीं सहायक बैंकों या किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को दिए गए ऋणों अथवा अग्रिमों, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख को चुकाए जाने शेष थे, की वापसी अदायगी के लिए आवश्यक हो ।

(ख) सहकारी बैंक को पूर्वोक्त अदायगियां करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा किसी अन्य बैंक के साथ अपने खाते चलाने की अनुमति दी जाएगी ।

परन्तु इस आदेश का ऐसा कोई प्रभाव नहीं होगा कि इस सहकारी बैंक को किसी रकम के दिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा वैसे किसी अन्य बैंक को इस संबंध में अपने आपको आश्वस्त करना होगा कि इस आदेश द्वारा लगाई गयी शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है ।

(ग) यह सहकारी बैंक, उन हुंडियों को, जो वसूल न की गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा सकेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियों पर कोई अधिकार अथवा हक न हो अथवा वैसी हुंडियों में उसका कोई हित न हो ।

(घ) सहकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियों को जो इस (बैंक) के पास किसी ऋण, नकद, कर्ज अथवा ओवरड्राफ्ट के बदले गिरवी, दृष्टि-बंधक अथवा बंधक रखी गयी हों, अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हो, निम्नलिखित मामलों में छोड़ अथवा दे सकेगा:—

(1) किसी ऐसे मामले में जहां यथास्थिति ऋण-कर्ताओं से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गई है; और

(2) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक की रकम जितनी आवश्यक अथवा संभव हो,

निर्दिष्ट अनुपातों से नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू थी, इनमें जो भी अधिक हो, उक्त माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के अनुपातों को कम किए बिना ।

[फा. सं. 10(5)/93-विकास]

पी. के. तेजयान, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1993

S.O. 135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45, read with clause (zb) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Swastik Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay-400 002 (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 26th Feb. 1993 upto and inclusive of the 26th August 1993 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance alienate or dispose of any assets to the bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account by whatever name called, a sum not exceeding Rs. 100;

Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 100 :

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-opeative Bank and remaining unpaid on the date on whih the order of moratorium comes into force;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before 26th February 1993 whether realized before, on or after that date;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits on appeals filed by or against, or decrees obtained by or aaginst, the Co-operative Bank, or for realizing any amounts due to it :

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred;

(v) the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and

(vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Co operative Bank;

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250/-, the permission in writing or the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

3. The Central Government hereby also directs that during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank,—

(a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or Mumbai District Central Co-operative Bank Ltd., or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with nay other bank for the purpose of making the payments aforesaid :

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or such other Bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;

(c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;

(d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise, charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent,—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 10(5)/93 Dev.]

P. K. TEJYAN, Under Secy.

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993.